

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी0एम0पी0 संख्या-123 / 2019

मनीष कुमार, पे0-श्री नरेश कापरी, निवासी ग्राम-खाटी, डाकघर-अमौर, थाना-बलवाड्डा,
जिला-गोड्डा (झारखण्ड)

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, रांची, परियोजना भवन, डाकघर और थाना-धुर्वा, जिला-रांची, झारखण्ड
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, झारखंड सशस्त्र पुलिस, रांची, डाकघर और थाना-डोरंडा, जिला-रांची
4. समादेष्टा, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-7, हजारीबाग

..... उत्तरदातागण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री राकेश कुमार रॉय, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए : श्री डी0के0 दुबे, अधिवक्ता।

आदेश संख्या 03:दिनांक 6 सितंबर, 2019

वर्तमान सिविल विविध याचिका डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0-5345/2010 की पुनःस्थापन के लिए दायर की गई है, जिसे अपने मूल रिकॉर्ड में चूक के कारण दिनांक 20.12.2018 को खारिज कर दिया गया था।

इस सिविल विविध याचिका में दर्शाए गए कारणों के वजह से डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0-5345/2010 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

इस प्रकार, इस सिविल विविध याचिका को अनुमति दी गई है और इसके परिणामस्वरूप, वादकालीन आवेदन का भी निपटारा किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)